राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)/नि.प./के–69/88/अलेसे –III/2021 दिनांक :– 13-07-18

आदेश संख्या 149/ 2018–19

श्री कैलाश चंद्र सैनी, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (पेंशन) जयपुर, को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 3 जयपुर के निर्णय दिनांक 29. 05.2018 द्वारा अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास व रू10,000/– के अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 2 माह के साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (डी) सपठित धारा 13 (2) के तहत अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं रू10,000 के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया है तथा अर्थ दण्ड अदा नही करने पर 02 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतने की सजा से दंडित किया गया है। अतः यह माना गया है कि श्री कैलाश चंद्र सैनी, कनिष्ठ लेखाकार का यह आचरण, जिसके कारण उसे दोष सिद्ध ठहराया गया है ऐसा है कि उन्हें लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

अतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री कैलाश चंद्र सैनी, कनिष्ठ लेखाकर को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.1996 के बिन्दु संख्या 7 (2) के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के निर्णय दिनांक 29.05.2018 से पदच्युत करते है/ सेवा से हटाते है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)/नि.प./के–69/88/अलेसे –III/2021 दिनांक :– 13-07-18

प्रतिलिपि :–

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/ विधि/ 7/ 2018/ 1809–10 दिनांक 13.06.2018 के क्रम में।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पुलिस (प्रथम), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ज़यपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचारा निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
7. कोषाधिकारी (पेंशन), जयपुर। (रजिस्टर्ड)
8. उपकोषाधिकारी कोटपुतली , जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक–I/ डीपीसी शाखा कार्यालय हाजा।
11. श्री कैलाश चंद्र सैनी, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (पेंशन) जयपुर।
12. उप निदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट पर प्रकाश हेतु)।
13. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
14. गोपनीय/पदस्थापन सीट।
15. कनिष्ठ लेखाकार वरिष्ठता सूची सीट।
16. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिनिदेशक (कार्मिक–III)